प्रति,

पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्य प्रदेश

विषय: समूह–5 भर्ती वर्ष 2024 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (AVFO) पद हेतु संशोधित परिणाम/प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने के संबंध में।

संदर्भ: माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक **WP-19468-2019** में पारित आदेश के अनुपालन में उत्पन्न रिक्त पदों के संबंध में।

महोदय,
सविनय निवेदन है कि समूह–5 संयुक्त भर्ती परीक्षा वर्ष 2024 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (AVFO) पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।

माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक **WP-19468-2019** में पारित आदेश के अनुसार, उक्त पद हेतु **केवल "पशुपालन विज्ञान में डिप्लोमा" धारक अभ्यर्थी ही पात्र** हैं तथा इससे उच्च योग्यता (डिग्री धारक) रखने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप **स्वीकृत पदों की तुलना में 120 से अधिक पद रिक्त** रह गए हैं।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि—

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन से उत्पन्न रिक्त पदों को भरने हेतु **अविलंब संशोधित परिणाम अथवा विस्तृत प्रतीक्षा सूची** जारी की जाए।
2. संयुक्त समूह–5 भर्ती वर्ष 2024 की नियम पुस्तिका के **अध्याय–1, नियम क्रमांक–5** के अनुसार, निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सफल अभ्यर्थियों/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है।
    - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु **40%**,
    - अनारक्षित वर्ग हेतु **50%** न्यूनतम अंक निर्धारित हैं।
      अतः इन अर्ह अभ्यर्थियों की **प्रतीक्षा सूची शीघ्र जारी** की जाए।
3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डिप्लोमा को **"Over & Above Qualification"** माना गया है, अतः प्रतीक्षा सूची के समस्त पद **केवल डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों** से, मेरिट क्रम के आधार पर भरे जाएँ, जिससे सभी स्वीकृत पद पूर्ण रूप से भरे जा सकें।
4. यह अत्यंत खेदजनक है कि पशुपालन विभाग में भर्ती नियमों की उपेक्षा करते हुए मनमानी की जा रही है। **SAME PERCENTILE प्राप्त अभ्यर्थियों में से कुछ को नियुक्ति दी गई, कुछ को प्रतीक्षा सूची में रखा गया तथा समान प्रतिशत वाले अनेक अभ्यर्थियों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया**, जबकि रिक्त पदों की संख्या 120 से अधिक है। यह प्रक्रिया **न्यायसंगत एवं नियमसम्मत नहीं** प्रतीत होती है।

अतः महोदय जी आपसे अनुरोध है कि न्यायोचित, पारदर्शी, निर्णय लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,
समस्त पीड़ित अभ्यर्थी
(पशुपालन विज्ञान में डिप्लोमा धारक)
समूह–5 भर्ती परीक्षा 2024